THE MINISTER OF LABOUR (SHRI K.V. RAGHUNATHA REDDY) : (a) Government have seen the news item referred to.

(b) to (d) The Expert Committee was set up by the Govenment of West Bengal and the Committee has submitted its report to the State Government who have sent a copy thereof to the Central Government for their observations and comments. The report is being examined.

Mechanised mining in Bailadilla

*274. SHRI MAQSOOD ALI KHAN : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the total investment on mechanised mining at Deposit No. 14, Bailadilla;

(b) how much iron ore N.M.D.C. has been mining on an average every year from the mechanised sector;

(c) what is the annual production of float ore for which a contract has been given to private parties; and

(d) what is the estimated investment of private concerns on such contract/contracts ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI K.D. MALAVIYA) : (a) The total investment on the development of Bailadilla Iron Ore Mines (Deposit No. 14) is expected to be Rs. 27.18 crores net.

(b) The average annual production from the mechanised mines during the last three years has been about 23.5 lakh tonnes.

(c) The average annual production of float ore during the same period has been about 15.9 lakh tonnes.

(d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Modification of the Nuclear Non-proliferation Treaty

*275. SHRI GANESH LAL MALI : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the steps taken by Government to ensure revision of the Nuclear Non-Proliferation Treaty; and

(b) if so, with what results ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SARDAR SWARAN SINGH) : (a) and (b) According to the provisions of the Nuclear Non-Proliferation Treaty, amendments to it can be proposed only by the Parties to the Treaty. India is not a party to the Treaty and cannot, therfore, propose any amendment or revision of the same.

अध्ययन के पश्चात् विदेशों में बस जाने वाले भारतीय छात्र

*276. **श्री नागेश्वर प्रसाद शाही :**
श्री नत्थी सिंह :
श्री एस० कुमारन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च 1974 तक गत तीन वर्षों की अवधि में कितने भारतीय छात्र अध्ययन के लिए विदेश गए और उनमें से कितने ऐसे छात्र हैं जो विदेशों में बस गये हैं और जिन्होंने भारत की नागरिकता त्याग दी है ;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आकलन किया है कि इन व्यक्तियों के अध्ययन पर भारत ने विदेशी मुद्रा के रूप में कितनी राशि खर्च की है; और

(ग) क्या प्रतिभाशाली व्यक्तियों के विदेशों में बसने को रोकने के लिये कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

†[**Indian students settling abroad after studies**

*276. SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI :
SHRI NATHI SINGH :
SHRI S. KUMARAN :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of Indian students who went abroad for studies during the period of three years as on 31st March, 1974 and the number out of them who settled abroad and gave up Indian citizenship ;

(b) whether Government have made any assessment in regard to the expenditure in terms of foreign exchange incurred by India on the studies of these persons; and

(c) whether any steps are being taken to check this brain drain ?]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना विभिन्न सरकारी एजेंसियों में इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

(ग) सरकारी वजीफे पर विदेश जाने वाले विद्यार्थियों को एक बांड पर हस्ताक्षर करने होते हैं जो उनके भारत न लौटने की हालत में जब्त कर लिया जाता है । इनमें

†[ ] English translation.

ऐसे विद्यार्थियों का अनुपात बहुत मामूली होता है जो पढ़ाई समाप्त हो जाने पर भारत न लौटते हों। सरकार के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिससे कि वह उन विद्यार्थियों को भारत लौटने पर मजबूर कर सके जो अपने खर्च पर उच्चतर अध्ययन के लिये विदेश जाते हैं।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) and (b) The required information is being collected from various Government Agencies and will be placed on the Table of the House.

(c) Students going abroad on scholarships awarded by Government are required to sign a bond which is forfeited if they fail to return to India. A negligible percentage of such students fail to return on completion of study. Government have no powers to compel the return of students who go abroad for higher studies at their own expense.

सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों के संबंध में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशें

***227. श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा :**
श्री जगदीश प्रसाद माथुर :
श्री डी० के० पटेल :
श्री सुब्रमण्यम स्वामी :

क्या रक्षा मंत्री 26 अप्रैल, 1974 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 136 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने अब सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के संबंध में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया है ?

†[Third Pay Commission's recommendations in respect of Armed Forces Personnel

*277. SHRI V.K. SAKHLECHA :
SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR :
SHRI D.K. PATEL :
SHRI SUBRAMANIAN SWAMY:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to refer to the answer to Starred Question 136 given in the Rajya Sabha on the 26th April, 1974, and state whether Government have since implemented the recommendations of the Third Pay Commission in regard to pay and allowances of Armed Forces personnel ?]

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) कमीशन प्राप्त अफसर

(1) वेतनमान—सरकार द्वारा प्रथम श्रेणी असैनिक अफसरों और भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों के वेतनमानों में हाल ही में स्वीकृत किये गये सुधारों के प्रकाश में इनका सक्रिय रूप से अध्ययन किया जा रहा है।

(2) भत्ते

(क) महंगाई भत्ता.—कमीशन प्राप्त अफसरों को उनके वर्तमान वेतन के आधार पर उन्हीं दरों पर जिन दरों पर प्रथम श्रेणी असैनिक अफसरों को महंगाई भत्ता मिलता है, महंगाई भत्ते की अस्थाई अदायगी प्राधिकृत करते हुए 31-5-74 को आदेश जारी किए गये थे।

(ख) अन्य भत्ते.—ये अभी विचाराधीन हैं। वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार इन भत्तों के बारे में आदेश जारी होने तक अफसर इन भत्तों को वर्तमान आधार पर ले रहे हैं।

(3) 'लेखा' भुगतान.—क्योंकि वेतन आयोग की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय नहीं हो सका, अतः वर्तमान वेतनमान में 1800 रुपये और 1800 रुपये तक पद का वेतन पाने वाले सभी अफसरों के लिये 500 रुपये का अस्थायी एक मुश्त 'लेखा' भुगतान प्राधिकृत करते हुए 26-6-74 को आदेश जारी किये गये थे। उपर्युक्त राशि में से 250 रुपये वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप उनके संशोधित वेतनमानों के नियतन और उनके आधार पर भत्तों के बकाया देश के प्रति समायोजित कर दिये जायेंगे और 250 रुपये उपर्युक्त (ख) के अनुसार देय महंगाई भत्ते के बकाया के प्रति समायोजित कर दिये जायेंगे। ये आदेश, अन्तिम निर्णय होने तक राहत देने के लिए जारी किये गये थे। ऐसी आशा है कि अन्तिम निर्णय शीघ्र ही ले लिया जाएगा।

(ख) अफसर पद के नीचे के कार्मिक

(1) वेतनमान.—संशोधित वेतनमानों के बारे में निर्णय ले लिये गये हैं। सैना के कार्मिकों के बारे आदेश प्रकाशन के लिए भेज दिये गये हैं। नौसैना और वायु सैना और रक्षा सुरक्षा कोर के कार्मिकों के बारे में आदेशों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(2) भत्ते

(क) महंगाई भत्ता—असैनिकों को वर्तमान वेतन के आधार पर देय महंगाई भत्ते की दर पर महंगाई भत्ते की अस्थाई भुगतान के लिये 25-4-74 को आदेश जारी किये गये थे।

[† [English translation.